40

III/निग./म.रो./उमरिया/2017/4237

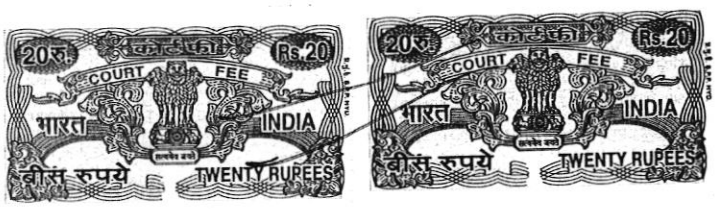

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल रीवा सार्किट कोर्ट रीवा
जिला रीवा म0प्र0

1– श्यामसुन्दर महरा तनय स्व0 दानशाह महरा उम्र 45 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम मोहनी तह0 बाधवगढ जिला उमरिया म0प्र0

2–राममिलन महरा तनय स्व0 दानशाह महरा उम्र 45 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम मोहनी तह0 बाधवगढ जिला उमरिया म0प्र0

––निगरानीकर्तागण

बनाम

1– रामगुना महरा तनय स्व0 करना महरा उम्र 55 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम मोहनी तह0 बाधवगढ जिला उमरिया म0प्र0

2– मिठाई लाल महरा तनय चैतू महरा उम्र 60 वर्ष पेशा कृषि

3– सोने लाल महरा तनय स्व0 छोटे महरा उम्र 48 वर्ष पेशा कृषि

4– सोहन महरा तनय स्व0 छोटे महरा उम्र 45 वर्ष पेशा कृषि

5– कृष्णा महरा तनय स्व0 छोटे महरा उम्र 40 वर्ष पेशा कृषि

सभी निवासी ग्राम मोहनी तह0 बाधवगढ जिला उमरिया म0प्र0

6– शासन म0प्र0 –––– गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व नायब तहसीलदार महोदय, करकेली तह0 बाधवगढ जिला उमरिया म0प्र0 के प्र0क0 6/अ3/15–16 निर्णय दिनांक 07–06–16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न है ।

यह कि आराजी नं0 156 स्थित ग्राम मोहनी तह0 बाधवगढ जिला उमरिया म0प्र0 में स्थित है जिसके भूमि स्वामी निगरानीकर्ता एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक **दो–निगरानी/उमरिया/भू.रा./2018/4237**

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकें आदि के हस्ताक्षर
07-03-2018	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार , वृत्त ककरेली तहसील बांधवगढ़ के प्र0क0 6 अ–5/15–16 में पारित आदेश दिनांक 7–6–16 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार ने आदेश दिनांक 7–6–16 से ग्राम मोहनी की भूमि सर्वे कमांक 156 का नक्शा तरमीम किया है, जो म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अंतर्गत है । इस धारा के अंतर्गत तहसीलदार व्दारा पारित आदेश अपील योग्य है जिसकी प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। **म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।** आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनी जावे। तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनना उचित नहीं है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त कारणों से निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य न होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	